

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

०३/०१/२०१८
भोपाल दिनांक २५/०९/२०१८

क्रमांक एफ १२-९/२०१८/सत्रह/मेडि-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा विशेष घटक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ददरौआ जिला भिण्ड में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही उन्नयन के फलस्वरूप निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारियों के ०१ अतिरिक्त पदों को सृजित करते हुये इन पदों में से प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत तीन वार्षिक चरणों में भरे जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

| क्र. | पदनाम | वेतनमान | अतिरिक्त स्वीकृत पद |
|------|----------|-------------|---------------------|
| १. | ए.एन.एम. | २२१००-७०००० | १ |

- २/- उपरोक्त व्यय मांग संख्या-६४ अनुसूचित जाति, विशेष घटक योजना २२१०- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य ०१-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-११० अस्पताल औषधालय-०१०३- राज्य आयोजना विशेष घटक- ७३१७ ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।
- ३/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक १८५/सी.आर. ११५/ब-६ दिनांक ३१/१२/२०१८ द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

AN
(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

०३/०१/२०१८
भोपाल, दिनांक २५/०९/२०१८

पृ.क्रमांक एफ १२-९/२०१८/सत्रह/मेडि-तीन
प्रतिलिपि:-

१. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
२. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
३. सचिव (समन्वय) मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय ।

4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
9. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल। (बैकसाइट पर अपलोड करें)
10. मिशन संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. आयुक्त कोष, लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश भोपाल।
12. कलेक्टर भिण्ड मध्यप्रदेश।
13. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
14. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर मध्यप्रदेश।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड मध्यप्रदेश।
16. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल भिण्ड मध्य प्रदेश।
17. जिला कोषालय अधिकारी भिण्ड मध्य प्रदेश।
18. मुख्य अभियंता संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
19. अनुभाग अधिकारी, शाखा-1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
20. आर्डर फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ. क्र./5/विकास/सेल-2/2019/ 31

भोपाल दिनांक 1-1-2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल मध्य प्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल मध्य प्रदेश।
4. कार्यालय कलेक्टर भिण्ड मध्य प्रदेश।
5. महालेखकार ग्वालियर मध्य प्रदेश।
6. अपर संचालक (वित्त)/वित्तीय सलाहकार स्थानीय कार्यालय।
7. अपर संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय।
8. समस्त संचालक, स्थानीय कार्यालय।
9. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल मध्य प्रदेश।
10. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग मध्य प्रदेश।
11. मुख्य अभियंता (भवन) स्थानीय कार्यालय।
12. समस्त उप संचालक स्थानीय कार्यालय।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड मध्य प्रदेश।
14. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक भिण्ड मध्य प्रदेश।
15. जिला कोषालय अधिकारी भिण्ड मध्य प्रदेश।

संयुक्त संचालक(विकास)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

संयुक्त संचालक(विकास)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

Copy

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

03/01/2019


भोपाल दिनांक 25/09/2018

क्रमांक एफ 12-9/2018/सत्रह/मेडि-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत 02 (ग्राम सेमलापुरा जिला राजगढ़ एवं ग्राम कोटेश्वर जिला धार) में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही उन्नयन के फलस्वरूप निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारियों के 1+1=02 अतिरिक्त पदों को सृजित करते हुये इन पदों में से प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत तीन वार्षिक चरणों में भरे जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

| क्र. | पदनाम | वेतनमान | अतिरिक्त स्वीकृत पद |
|------|----------|-------------|---------------------|
| 1. | ए.एन.एम. | 22100-70000 | 1 |

- 2/- उपरोक्त व्यय मांग संख्या-19 सामान्य क्षेत्र, 2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें ऐलोपैथी-103 स्वास्थ्य केन्द्र-0101-सामान्य क्षेत्र-7317 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 184 / सी.आर. 775 / ब-6 दिनांक 31/12/2018 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 12-09/2018/सत्रह/मेडि-तीन
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25/09/2018
03/01/2019

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. सचिव (समन्वय) मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।

//2//

8. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
 9. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल। (बैकसाइट पर अपलोड करें)
 10. मिशन संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश भोपाल।
 11. आयुक्त कोष, लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश भोपाल।
 12. कलेक्टर राजगढ़ एवं धार मध्यप्रदेश।
 13. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
 14. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल एवं इन्दौर मध्यप्रदेश।
 15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ एवं धार मध्यप्रदेश।
 16. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक राजगढ़ एवं धार मध्य प्रदेश।
 17. जिला कोषालय अधिकारी राजगढ़ एवं धार मध्य प्रदेश।
 18. मुख्य अभियंता संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
 19. अनुभाग अधिकारी, शाखा-1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 20. आर्डर फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ. क्र./5/विकास/सेल-2/2019/ 30

भोपाल दिनांक ११-१-२०१९

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल मध्य प्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल मध्य प्रदेश।
4. कार्यालय कलेक्टर राजगढ़ एवं धार मध्य प्रदेश।
5. महालेखकार ग्वालियर मध्य प्रदेश।
6. अपर संचालक (वित्त)/ वित्तीय सलाहकार स्थानीय कार्यालय।
7. अपर संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय।
8. समस्त संचालक, स्थानीय कार्यालय।
9. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल मध्य प्रदेश।
10. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल एवं इन्दौर संभाग मध्य प्रदेश।
11. मुख्य अभियंता (भवन) स्थानीय कार्यालय।
12. समस्त उप संचालक स्थानीय कार्यालय।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ एवं धार मध्य प्रदेश।
14. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक राजगढ़ एवं धार मध्य प्रदेश।
15. जिला कोषालय अधिकारी राजगढ़ एवं धार मध्य प्रदेश।

संयुक्त संचालक(विकास)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 25/09/2018

क्रमांक एफ 12-9/2018/सत्रह/मेडि-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत 02 (ग्राम पोड़ी जिला शहडोल, एवं ग्राम पाली जिला उमरिया) में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही उन्नयन के फलस्वरूप निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारियों के 1+1=02 अतिरिक्त पदों को सृजित करते हुये इन पदों में से प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत तीन वार्षिक चरणों में भरे जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

| क्र. | पदनाम | वेतनमान | अतिरिक्त स्वीकृत पद |
|------|----------|-------------|---------------------|
| 1. | ए.एन.एम. | 22100-70000 | 1 |

- 2/- उपरोक्त व्यय मांग संख्या-41 आदिवासी क्षेत्र 2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-110 अस्पताल औषधालय-0102-आदिवासी उपयोजना-7317 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 183/सी.आ. 775/ब-6 दिनांक 31/12/2018 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

ANL
(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


पु.क्रमांक एफ 12-09/2018/सत्रह/मेडि-तीन
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25/09/2018

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. सचिव (समन्वय) मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

//2//

9. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल। (नेबसाइट पर अपलोड करे)
10. मिशन संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश भोपाल।
 11. आयुक्त कोष, लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश भोपाल।
 12. कलेक्टर शहडोल एवं उमरिया मध्यप्रदेश।
 13. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
 14. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा मध्यप्रदेश।
 15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल एवं उमरिया मध्यप्रदेश।
 16. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक शहडोल एवं उमरिया मध्य प्रदेश।
 17. जिला कोषालय अधिकारी शहडोल एवं उमरिया मध्य प्रदेश।
 18. मुख्य अभियंता संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
 19. अनुभाग अधिकारी, शाखा-1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 20. आर्डर फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अधर सांचव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ. क्र./5/विकास/सेल-2/2019/ 29

भोपाल दिनांक १-१-२०१९

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल मध्य प्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल मध्य प्रदेश।
4. कार्यालय कलेक्टर शहडोल एवं उमरिया मध्य प्रदेश।
5. महालेखकार ग्वालियर मध्य प्रदेश।
6. अपर संचालक (वित्त)/वित्तीय सलाहकार स्थानीय कार्यालय।
7. अपर संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय।
8. समस्त संचालक, स्थानीय कार्यालय।
9. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल मध्य प्रदेश।
10. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग मध्य प्रदेश।
11. मुख्य अभियंता (भवन) स्थानीय कार्यालय।
12. समस्त उप संचालक स्थानीय कार्यालय।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल एवं उमरिया मध्य प्रदेश।
14. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक शहडोल एवं उमरिया मध्य प्रदेश।
15. जिला कोषालय अधिकारी शहडोल एवं उमरिया मध्य प्रदेश।

संयुक्त संचालक(विकास)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश